एक बेतुका रंगमंच(इंडियन एक्सप्रेस 25-08-2016)

लेख में आईपीसी की धारा 124A के अंतर्गत राजद्रोह कानून और इसकी संवैधानिक वैधता के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विश्लेषण किया गया है।

- हमारे संविधान में कोई भी मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है। अनुच्छेद 19 (1) (क) के तहत दी गई भाषण और अभिव्यक्ति की स्वंतंत्रता पर अनुच्छेद 19 (2) में निर्दिष्ट प्रावधानों केआधार पर रोक लगायी जा सकती है।
- यह महत्वपूर्ण है कि संविधान सभा में बहस के दौरान, संविधान निर्माताओं ने, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान राजद्रोह के कानून के अपने कटु अनुभव से काफी कुछ सीखा था, इसलिए अनुच्छेद 19 (2) भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए जानबूझ कर "देशद्रोह" के कानून को छोड़ा गया था।
- हालांकि, आईपीसी की धारा 124A के तहत राजद्रोह एक अपराध बना रहा इसके लिए किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा और जुर्माना का प्रावधान किया गया है।
- गांधीजी ने देशद्रोह" के कानून का वर्णन भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के राजकुमार के रूप में किया है।
- मसलन अब धारा 124A को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है और इसे असंवैधानिक बताया गया है। केदारनाथ बनाम बिहार राज्य के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून के दायरे को विस्तार से बताया है।
- इसके अंतर्गत फैसला सुनाया कि "सरकार या सरकारी अधिकारियों के कृत्यों और उनकी मजबूत आलोचना को धारा 124A के दायरे से बाहर रखा गया है।
- सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा: "एक नागरिक को वह सब कहने का अधिकार है जो वह अपनी सरकार के नीतियों के लिए कहना या लिखना चाहता है लेकिन ऐसा वह तब तक ही कर सकता है जब तक कि

उसके द्वारा कहे गए या किये गए क्रत्यों से व्यापक स्तर पर जनसामान्य में आसंतोश न उत्पन्न हो या ऐसा उसने जनभावनाओं को भड़काने के लिए न किया हो।

- सुप्रीम कोर्ट किसी भी प्रिवी काउंसिल के निर्णय, जो किसी भी भाषण या लेखन जो सरकार की नीतियों की आलोचना करता हो को देशद्रोह नहीं मानता है को अनुमति नहीं दी गयी है। इसके अंतर्गत ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन द्वारा कई स्वतंत्रता सेनानियों मुकदमा चलाया और राजद्रोह के लिए दंडित किया गया।
- इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने धारा 124A के तहत ऐसे किसी भी कृत्य को देशद्रोह माना है जो हिंसा को बढ़ावा देता हो या ऐसे किसी कृत्यों का समर्थन करता है।
- इसलिए सवाल कि कोई निश्चित भाषण या कृत्यों राजद्रोह से सम्बंधित है या नहीं यह तथ्य मूलतः उस आधार पर रख कर देखा जाना चाहिए जिसमे केदारनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो फैसला सुनाया गया था।
- हाल ही में राजद्रोह का कानून मनेस्टी इंटरनेशनल के खिलाफ लगाया गया है जिसने बेंगलुरु में अपनी एक सभा आयोजन के दौरान भारत के विरुद्ध कुछ अपमान नारे लगाये थे।
- अगर ऐसा हो, यह निश्चित रूप से दुः खद है तथा एमनेस्टी के विरुद्ध सिविल और आपराधिक कार्यवाही होनी ही चाहिए। मसलन यहाँ उसके भारत विरोधी नारे की निंदा निश्चित की जानी चाहिए।
- लेकिन केवल नारों के मात्र से ही राजद्रोह सावित नहीं किया जा सकता है जब तक कि वहाँ किसी के द्वारा किये गए कृत्य से हिंसा सरकार को उखाड़ फेंकने जैसी कोई साजिश न की गई हो। निश्चित रूप से हमारे देश और उसकी व्यवस्था अब इतनी परिपक्व हो चुकी है कि राजद्रोह के कानून को लगाने से पहले ही उस पर भारत के इस अपमान पर कार्यवाही की जा सके।
- हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि धारा 124 को हटा दिया जाना चाहिए। लेकिन, सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गयी व्याख्या के अनुसार धारा 124A "देशद्रोह"के इए आवश्यक है।
- वस्तुतः कुछ मामलें ऐसे अवश्य होते है जब धारा 124A वैध तरीके से लागू किया जा सकता है। इसलिए, इस धारा को तो बने रहना चाहिए लेकिन इसके कुछ खंड पर हटाने का विचार अवश्य करना चाहिए।
- यह उचित समय है जब उन लोगों पर यहाँ तक कि वकीलों, को भी सजा दी जाये जो गलत ढंग से धारा 124A का उपयोग करते है तथा उन लोगों के लिए समस्या उत्पन्न करते है जो 124A को खुद को व्यक्त करने के लिए उपयोग करते है।
- एक न्यायिक रूप से फ़ालतू की शिकायतों पर सुनवाई ही नहीं करनी चाहिए। मसलन यही वह समय है जब हमे कट्टरता से असहिष्णुता की ताकतों जो हमारी लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य के लिए एक गंभीर खतरा उत्पन्न कर रही है के विरुद्ध कारवाही कर सके।

प्रश्न :

CHANAKYA IAS ACADEMY
Nurturing Leaders of Tomorrow

यही वह समय है जब हमे कट्टरता से असहिष्णुता की ताकतों जो हमारी लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य के लिए एक गंभीर खतरा उत्पन्न कर रही है के विरुद्ध कारवाही कर सके। लेकिन 'राजद्रोह कानून' को लागू कर देना इस समस्या का जवाब नहीं है। इस कथन के प्रकाश में, क्या आपको लगता है कि भारत को अभी भी एक राजद्रोह के कानून की जरूरत है ।

सुझाव बिंदु:

- हमे क्यों एक राजद्रोह के कानून की जरूरत है।
- सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इस धारा के उपयोग करने पर लगायी गयी पावंदी।
- हम समाज में व्याप्त असहिष्णुता का समाधान कैसे कर सकते हैं।

लिंक : http://indianexpress.com/article/opinion/columns/ramya-pakistan-comment-sedition-law-amnesty-international-freedom-speech-supreme-court-2994652/

संकलन : मनीष कुमार सिंह

CHANAKYA
IAS ACADEMY
Nurturing Leaders of Tomorrow